न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 184/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पुसाराम पुत्र नरसिंह 2. शैतानराम पुत्र नरसिंह 3. सुवालाल पुत्र नरसिंह 4. रामुड़ी पत्नि नरसिंह जातियान- बावरी निवासीगण- निम्बोल तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।		1. पृथ्वीराज पुत्र रतनाराम 2. प्रेमलता पत्नि पृथ्वीराज जाति- बावरी निवासी- निम्बोल तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0। 3. तहसीलदार जी, जैतारण

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.13/07/2018**

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चोधरी, अधि0प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 31/01/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा- निम्बोल में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की जमीन खसरा नंबर 19 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की 1/3 हिस्से की 07 बीघा आई हुई है। जिसमें से वादीगण ने अपने हिस्से में से 01 बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या 01 को बेचान करने पर 06 बीघा जमीन शेष रहती है प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के इसी खसरा नंबर में से खरीदसुदा 15 बीघा जमीन आती है वादीगण की उक्त हिस्से की जमीन का मौके पर पिछले 50 वर्षो से बंटवाड़ा किया हुआ है। वादीगण का बंट उतर की तरफ व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 का दक्षिण की तरफ है जिसका मौके का नजरी नक्शा बनाकर दावा के साथ पेश किया जा रहा है। जमाबन्दी नकल साथ पेश है। वादीगण के हिस्से की जमीन में वादीगण का रहवासी कच्चा मकान बना हुआ है। वादीगण ने अपने हिस्से की जमीन को हजारों रूपये लगाकर समतल बनाया तथा खाद डालकर उपजाऊ बनाया जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने एक माह पूर्व माह मई 2018 को चेनाराम मेघवाल निवासी सिणला से खरीद की मौके पर प्रतिवादीगणको दक्षिण की तरफ उनके हिस्से का कब्जा दिया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादीगण के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की नियत से दिनांक 05.07.2018 को टेक्टर लेकर आए और वादीगण की हिस्से की जमीन पर खड़ाई करने पर आमादा हुए उस समय वादीगण ने अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया तथा प्रतिवादीगण मारपीट करने पर उतारू हो गये। प्रतिवादीगण की नियत खराब हो चुकी है लाठी के बल पर रात बिरात जबरदस्ती वादीगण के हिस्से की जमीन पर कवजा करना चाहते है यदि प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जो करेंगे तो मौके पर खून खच्चर होगा। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 01 प्रोपटी डिलर है जो जमीन खरीदने व बैचने का काम करता है तथा झगड़े की जमीन खरीदता है खसरा नंबर 19 के 1/3 हिस्से की जमीन लाबु लावल्द फौत के नाम थी। जो गलत नामानतकरण करवाकर भंवराराम के नाम दर्ज करवाकर भंवराराम से चेनाराम पुत्र गिरधारीराम जाति- मेघवाल निवासी सिणला के नाम बेचान करवाकर चेनाराम से प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या 02 के नाम खरीद करके वादीगण के हिस्से की जमीन पर कब्जा करना चाहता है जबकि लाबुराम लावल्द फौत होने से लाबु के दोनों भाई नरसिंह व लादु का 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा था। लाबु लावल्द होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 01 ने लाबु के विरासत का नामान्तकरण अजनबी भंवराराम के नाम भरवाकर भंवराराम से चेनाराम के नाम बैचान करवाकर चेनाराम से अपनी पत्नि प्रेमलता के नाम रजिस्ट्री करवा दी और अब वादीगण के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने पर आमादा है। पूर्व में गत वर्ष लाबुराम के 1/3 हिस्से की जमीन का

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अजनवी व्यक्ति भंवराराम के नाम नामान्तकरण करने पर रेकर्ड टेम्पर विथ का फौजदारी मुकदमा भी हुआ लेकिन जांच अधिकारी से सांठ गांठ करके अन्तिम रिपोर्ट पेश करवा दी गई। अब वादीगण के हिस्से की उपजाऊ जमीन पर कब्जा करना चाहता है जिसको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 01 एलानिया कहता है कि खसरा नंबर 19 में अपना हिस्सा उतर की तरफ बताकर बाले बाले तरमीम करवा दूंगा और वादीगण के कब्जे की जमीन पर रात बिरात कब्जा करके फसल की बुवाई कर दुगा जिको रोका जाना जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 01 खसरा नंबर 19 में से पिछले काफी वर्षों से अवैध लाईम स्टोन पत्थर निकाल कर निरमा सिमेन्ट फैक्टी में सप्लाई करता है पूर्व में भी प्रतिवादी द्वारा विना माईन्स के अवैध पत्थर निकाल कर बेचने से 50 लाख रूपयों का जुर्माना खनिज विभाग द्वारा लगाया गया जिसका कुर्की वारन्ट भी निकला हुआ है वादीगण के हिस्से की जमीन में से भी कब्जा करके अवैध खनन करना चाहता है जिसको रोका जाना जरूरी है मौके पर नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है। दावा बंटवाड़ा का होने से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर होने से दावा बंटवाड़ा का होने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 03 बनाया गया है। वादीगण का विनाय दावा दिनांक 05.07.2018 को जब प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की धमकी देने पर बमुकाम निम्बोल में पैदा हुआ जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में है। व वाद अन्दर मयाद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ,। वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का जवाबदावा पेश किया कि सरहद मौजा निम्बोल में जवाव देहन्दा की खरीदयुदा कृषि भूमि आई हुई है। जो जवाब देहन्दा ने वादीगण दुसरे जो पहले खातेदार थे उनसे खरीद की, अर्थात कुल मिलाकर जवाब देहन्दा की खसरा नम्बर 19 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा में 15 बीघा जमीन खरीदयुदा है। खरीद करने के बाद वादीगण ने कब्जा प्राप्त कर काश्त शुरू की, एवं मौके पर अपने हक हिस्से अनुसार जवाब देहन्दा का कब्जा व काश्त है वादीगण का यह कथन अंकित करना कि वादीगण का बंट उत्तर की तरफ है एवं जवाब देहन्दा का दक्षिण की तरफ है उक्त तथ्य झूठे व बेबूनियाद अंकित किये है क्योंकि मौके पर जो बंटवाड़ा हो रखा है उसका नजरी नक्श बनाकर जवाब के साथ पेश किया जा रहा है। जिसे जवाब का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का कोई कच्चा मकान बना हुआ नहीं है वादीगण की जमीन एकतरफ है, शेष जमीन प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है एवं प्रतिवादीगण ने जब से चेनाराम मेघवाल से खरीद की एवं जहां पर चेनाराम का कब्जा काश्त था वहां पर जवाब देहन्दा ने कब्जा प्राप्त किया है। एवं वहीं पर शुरू से लेकर आज दिन तक जवाब देहन्दा का कब्जा व काश्त है, उल्टा वादीगण की नियत में खोट आ गई है एवं जवाब देहन्दा ने अपने हक हिस्सों की जमीन में खाद डालकर के उसको उपजाउ बनाया, तब वादीगण की नियत में खोट आ गई एवं अब वादीगण जबरदस्ती प्रतिवादीगण जबाव देहन्दा की जमीन को अपनी होना बताकर उसे हड़प करने पर आमादा है जबकि वादीगण की जमीन अलग है जवाब देहन्दा की मौके पर जमीन खड़ाई की हुई अलग है जबकि वादीगण की जमीन खड़ाई की हुई नहीं है, नंगी आंखों से देखने पर पता चल जाता है कि वादीगण की जमीन कौनसी एवं जवाब देहन्दा की कौनसी है। वादीगण झूठा नजरी नक्शा बनाकर जवाब देहन्दा की जमीन अपनी होना बता रहा है जो कतई असत्य है। इसलिए वादीगण ने जवाब देहन्दा की जमीन पर कब्जा करने की नियत से यह आधारहीन तथ्यों पर वादपत्र पेश किया है जो पूर्णतया खारिज के है। प्रतिवादीगण संख्या 01 कोई प्रोपटी डिलर नहीं है। एक काश्तकारी व्यक्ति है जिसने चैनाराम से जमीन खरीद की है एवं कुछ जमीन वादीगण के भाई बंधुओं से खरीद की है एवं जो पूर्ववर्ती खातेदार थे उनसे जमीन खरीद की है एवं उन्होंने जवाब देहन्दा ने मौके पर कबजा सुपुर्द किया है वही पर जवाब देहन्दा का कब्जा व काश्त है जवाब देहन्दा न तो वादीगण की जमीन पर कब्जा करना चाहता है एवं न ही उनकी जमीन पर दखल कर रहे हे। उल्टा वादीगण जवाब देहन्दागण की जमीन पर दखल करने को आमादा है। जवाब देहन्दा ने जो जमीन खरीदी वह वादीगण के भाई बन्धुओं एवं चैनाराम से खरीद की है तथा वादीगण जो फौजदारी मुकदमें एवं अन्य तथ्य अंकित किये है उस बाबत वादीगण एवं जिनके बीच में मुकदमे चल रहे थे, उनके बीच में राजीनामा हो गया, जिसमें वादीगण स्वयं ने राजीनामा किया था। खसरा नंबर 19 जवाब देहन्दा ने अभी कुछ

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

समय पहले ही खरीदा है तो उसमें लाईम स्टोन निकालना, फैक्टरी में सप्लाई करना अवैध पत्थर निकालना आदि पूर्णतया झूठे कथन है क्योंकि जवाब देहन्दा द्वारा खरीद की गई जमीन काबिल काश्त के है एवं मौके पर काश्त हो रही है। किसी तरह का कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। जो भी अवैध खनन पूर्व में किया गया था वह वादीगण द्वारा किया गया था। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार से कोई बिनाय वाद प्राप्त नहीं होता है। वादीगण ने केवल प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से उक्त झूठा वादपत्र पेश किया है। जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। इस्तदुआ वादीगण कतई असत्य होने झूठी व बेबुनियाद है क्योंकि वादीगण ने जो नजरी नक्शा पेश किया है वह कपोल कल्पित है नक्शे के अनुसार वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। जबकि जवाब देहन्दागण द्वारा जो नजरी नक्शा पेश किया है उसी अनुसार भूमि मौके पर बंटी हुई है एवं उसी अनुसार वादीगण एवं जवाब देहन्दागण बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है। इसलिए भी वादीगण का वादपत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। वकुलाय की इस्तदुआ पर बहस वकुलाय वादपत्र पर सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि उक्त वाद बाबत् बंटवाड़ा का हैं। उक्त वाद को माफिक राजस्व रेकर्ड व जवाबदावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाने का आदेश फरमावें। इस पर वकील वादीगगण ने जाहिर किया कि वाद के साथ हमने नजरी नक्शा प्रस्तुत किया हैं उसी अनुरूप हमारा कब्जा हैं, माफिक नजरी नक्शा व कब्जे काश्त अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ एवं दस्तावेजात तथा जवाबदावें एवं वकील वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा प्रसतुत नजरी नक्शों का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वकुलाय ने अपने अपने नजरी नक्शे अनुसार बंटवाड़ा करने की प्राथमिक डिक्री जारी करने की इस्तदूआ की हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। राजस्व मण्डल के नियमों अनुसार विवादित आराजी का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जाने का प्रावधान हैं, ऐसी स्थिति में भूमिधारक तहसीलदार जैतारण भू. अ. निरीक्षक मय पटवारियान की टीम गठित कर उभयपक्षकारान् को निर्धारित दिन/समय नियत कर सूचना का नोटिस दिया जाकर रूबरू उभयपक्षकारान के अपनी उपस्थिति में विवादित आराजी का बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर नजरी नक्शा बनाकर आगामी तारीख पेशी पूर्व पेश करने का आदेश दिया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा- निम्बोल में स्थित खसरा नंबर 19 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आयी हुई है का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/1082 दिनांक 28/12/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/124 दिनांक 02/01/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते।

-::आदेश::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व सरहद मौजा-निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल, तहसील-जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 20-19 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान (रुपये)
1	प्रेमलता पत्नी पृथ्वीराज चौहान हि. 259/300 पृथ्वीराज पुत्र रतनाराम हि.41/300 कौम बावरी सा.देह खातेदार।	19/1	15-00	बा.दो.	4.65
2	पूसाराम शैतानराम सुवालाल पिता नरसिंह हि. 84/119 रामूड़ी पत्नी नरसिंह हि. 35/119 कौम बावरी सा.देह खातेदार।	19	5-19	बा.दो.	1.84
	योग		**20-19**		**6.49**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/01/2019 को सरे ईजलाश सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज.)

Scanned by CamScanner